मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-11

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

बुधवार, दिनांक 21 जुलाई, 2004 (आषाढ़ 30, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 17 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 45 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 52 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य ने मैहर शहर व उसके ग्रामीण क्षेत्रों में लगे ट्रांसफार्मरों में ग्रिप न होने,

(2) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने जिला श्योपुर के गांव में कृषकों को पंप कनेक्शन नही मिलने,

(3) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने भोपाल शहर के बीच में स्थित सब्जी मंडी में गंदगी का प्रकोप होने,

(4) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र मउगंज में राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाने,

(5) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य ने रीवा जिले के पूर्व माध्यमिक शाला बबैया में शिक्षकों का अभाव होने,

(6) श्रीमती शशि ठाकुर, सदस्य ने जिला सिवनी के भीमगढ़ बांध की हालत जर्जर होने, तथा

(7) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने मुरैना निवासी दुर्गाप्रसाद राठौर की नाबालिग पुत्री का अपहरण होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कैलाश चावला, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश निर्यात निगम का छब्बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे 31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पटल पर रखा।

4. ध्यानाकर्षण

(1) श्री लालसिंह आर्य, सदस्य ने भिण्ड जिले के गोहद नगर में पेयजल संकट होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जयैत मलैया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर अपना वक्तव्य दिया

(2) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम झलवारा स्थित जंगल की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. ढाल सिंह बिसेन, वन मंत्री ने इस पर अपना वक्तव्य दिया

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री नागेन्द्र सिंह, सदस्य ने रीवा जिले के मटियरा नाला व काड़ी नाला पर पुल बनाये जाने,

(2) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य ने सतना जिले के ग्राम देऊमऊ दलदल के बहरातीर टोला में ट्रांसफार्मर लगाये जाने,

(3) श्री लाल सिंह आर्य, सदस्य ने भिण्ड जिले के -

(क) गोहद नगर में कन्या इन्टर कालेज हेतु भवन बनाये जाने,

(ख) केसली बांध एवं गोहद ग्राम के बीच नदी पर स्टाप डेम कम रपटा बनाये जाने, तथा

(ग) ग्राम भौनपुरा व सिहोनिया के मध्य आसन नदी पर पुल बनाये जाने,

(4) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य ने ग्वालियर में थाना मोहना से ककेटो ग्राम तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने,

(5) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने ग्राम डुबका एवं अचलपुरा के किसानों को भू-अर्जन राशि का मुआवजा दिलाये जाने, एवं

(6) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने मुरैना जिले के -

(क) ग्राम देवरी (हिगोना) में कन्या हाई स्कूल खोले जाने ; तथा

(ख) ग्राम सिल्पई में विद्युत प्रदाय कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत की।

6. वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

वन विभाग की अनुदानों की मांगों पर पुनर्ग्रहीत चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री राजनारायण सिंह

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा
(3) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा
(4) श्री रामलखन शर्मा
(5) श्री लाखन सिंह बघेल
(6) श्री लाल सिंह आर्य

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(7) डॉ. गोविन्द सिंह
(8) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(9) कुंवर विजय बहादुर सिंह बुंदेला
(10) श्री नागेन्द्र सिंह
(11) श्री बृजेन्द्र तिवारी

सभापति महोदय (श्री इन्द्रजीत कुमार) पीठासीन हुए.

(12) श्री रामनिवास रावत
(13) श्री जालम सिंह पटेल

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(14) श्री ज्ञान सिंह
(15) श्री बहादुर सिंह
(16) श्री मनोहर लाल राठौर

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

डॉ. ढाल सिंह बिसेन, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री गोपाल भार्गव, कृषि मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को "लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि" के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या -13	कृषि के लिए एक सौ छियानवे करोड़, सतहत्तर लाख, छः *हजार रूपये,*
अनुदान संख्या -17	सहकारिता के लिए पचपन करोड़, इकसठ लाख, सत्ताई हजार रूपये,
अनुदान संख्या -52	कृषि विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए चार करोड़, पन्द्रह लाख, चौवन हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या -54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए तीस करोड़, सैतालीस लाख, तैतीस हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 13	2,3,4,5,8,9,10,11,14,
मांग संख्या - 17	1,3,5
मांग संख्या - 52	1
मांग संख्या - 54	3

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह

(2) श्री लक्ष्मण सिंह गौड़

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(3) श्री नारायण त्रिपाठी

(4) श्री रामलखन शर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(5) श्री राजनारायण सिंह

(6) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा

(7) डॉ. नरोत्तम मिश्र

(8) श्री बृजेन्द्र तिवारी

(9) पं. रमेश दुबे
(10) श्री शंकरलाल तिवारी
(11) श्री ध्रुव प्रताप सिंह
(12) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(13) श्री प्रदीप जायसवाल
(14) श्री रविन्द्र सुका महाजन
(15) श्रीमती शशि ठाकुर
(16) श्री रामनिवास रावत
(17) श्री गजराज सिंह सिकरवार
(18) श्री गिरिजा शंकर शर्मा
(19) श्री बृजमोहन धूत
(20) पं. हरिचरण तिवारी
(21) श्री धरमू राय
(22) श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव
(23) श्री रामपाल सिंह

(चर्चा अपूर्ण)

6.32 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 22 जुलाई, 2004 (आषाढ़ 31, 1926) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.